प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक- अक्टूबर 11, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 85 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 36 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय कर भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा आम जनमानस को पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

***आबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही* -**

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता सुनीता पत्नी रामू नि0 भारीवैसी थाना फरेन्दा के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 257/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व अभियुक्त शमारु पुत्र हरिहर नि0 निरनाम पश्चिमी थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/21 धारा (60) आबकारी अधिनियम मे पंजीकगृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्ता सरस्वती पत्नी रामप्रसाद नि0 बपही थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 10लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 388/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम ,अभियुक्ता चिनकी देवी पत्नी रामप्रीत नि0 कलनहीखुर्द थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 389/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे व अभियुक्त सुदर्शन पुत्र त्रिभुवन नि0 शरपतिया थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 390/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बलिराम पुत्र इन्द्रजीत नि0 देवहट्टी थाना बरगदवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***जुआ अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

***थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त सुभाष पुत्र मेवालाल नि0 सब्जी मण्डी थाना महानगर जनपद लखनऊ के विरुद्ध थाना बृजमनगंज पर मु0अ0सं0 235/21 धारा 13 जुआ अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 10/11-10-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 43 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।